

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30-अ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 फरवरी 2011—माघ 14, शक 1932

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-3/2011/वा.कर (आब.)/पांच (3).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिट नियम 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में :—
नियम-7-क के शब्द, समूह व अंक “रुपये 2.50 (दो रुपये पचास पैसे)” के स्थान पर शब्द, समूह व अंक “रुपये 6.00 (छः रुपये)” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2011 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-3/2011/वा.कर (आब.)/पांच (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-3/2011/वा.कर (आब.)/पांच (3), दिनांक 03-02-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-3/2011/CT (Ex.)/V(3).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of Sub-section (2) read with the proviso to Sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995, namely :—

AMENDMENTS

1. In the aforesaid rules :—
In Rule 7-A the word, group and figures “Rs. 2.50 (Rs. Two & paise fifty)” shall be substituted by the word, group and figures “Rs. 6.00 (Rs. Six)”.
2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.